

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No...Memo.../F.R.A.

Dated 21/09/2019

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of S.N. Pandey (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 21/09/2019 at Champawat in which the application claiming rights in Sutera village in Barakote Tehsil. Area measuring 2.75 hect. for the construction of Sutera to Jamradi and Kranteswar Motor Road Under State Sector in District Champawat of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Barakote tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण विभाग नि. वि.
लोहाघाट (चम्पावत)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

(S.N. Pandey) I.A.S.
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee,
Champawat.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

पूर्व जिला पंचायत
सुदल्य
मालिनी
(चम्पावत)

पूर्व जिला पंचायत सदस्य
राईकोट कुंवर
चम्पावत

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति चम्पावत की बैठक के बिन्दु:-

आज दिनांक 21/09/2019 को जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वन भूमि को प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु बैठक की गयी जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- | | |
|------------------------------|---|
| 1- श्री एस0एन0 पाण्डेय | जिलाधिकारी चम्पावत |
| 2- श्री कुबेर सिंह बिष्ट | प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत |
| 3- श्री रवीन्द्र सिंह सामन्त | जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत |
| 4- श्री मुकेश कुमार | पूर्व जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र राइकोट कुवर |
| 5- श्री पुष्कर चौहान | पूर्व जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र ग्रियानी |

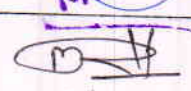
इस बैठक में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 2.750 हे0 वनभूमि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलास्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्पत्ति से उक्त मोटर मार्ग हेतु 2.750 हे0 वनभूमि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

जिलाधिकारी
जिलास्तरीय वन अधिकार समिति

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेडी व कान्तेष्वर मोटर मार्ग हेतु 2.750 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तन जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 21/09/2019 को जिलाधिकारी महोदय चम्पावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।

क्र० सं०	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री एस०एन० पाण्डेय	जिलाधिकारी, चम्पावत	
2	श्री कुबेर सिंह बिष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत	
3	श्री रवीन्द्र सिंह सामन्त	जिला समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत	
4	श्री-मुक्ता कुमार	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र राईकोट कुबेर	
5	श्री पुष्कर चौहान	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र मटिपानी	

1.6
(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No..Memo/FRA

Date..21/07/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.450 + 0.300 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Sutera to Jamredi and Kranteswar Motor Road. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Sutera village (s) in Barakot Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.450 + 0.300 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

राज्यक अभियन्ता

निर्माण खण्ड सी० नि० वि०

लोहाघाट

अधिसूची अभियन्ता

निर्माण खण्ड सी० नि० वि०

लोहाघाट (चम्पावत)

जिला समाज कल्याण अधिकारी

चम्पावत

उपजिलाधिकारी

लोहाघाट

तहसीलदार

बाराकोट

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण। 1.6

कार्यालय उप जिलाधिकारी लोहाघाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
सी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण -पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति लोहाघाट

उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण सिविल भूमि 2.450 हे० मलुवा निस्तारण हेतु + 0.300 हे० अर्थात् कुल 2.750 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बाराकोट) की दिनांक 31-08-19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक कु० शिप्रा जोशी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री आर०सी० गौतम, उपजिलाधिकारी लोहाघाट - अध्यक्ष
- 2- श्री मुरली मनोहर भट्ट, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट - सदस्य
- 3- श्री मुरलीधर भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी पाटी/लोहाघाट - सदस्य/सचिव
- 4- श्री जयदीप सिंह, बी०डी०सी० क्षेत्र सुतेड़ा - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि "जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.450 हे० + 0.300 हे० कुल 2.750 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बाराकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 2.450 हे० + 0.300 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

24.8.19

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील बाराकोट, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24.8.19

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील.....
जनपद.....

हो. ए. मुदल
मुदल

राजस्व उपनिर्देश
क्षेत्र लोहाघाट
तहसील बाराकोट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

तहसीलदार
बाराकोट

वहा. व. क. मिति.
व. म. का. (का.)
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- सुतेड़ा

तहसील- बाराकोट, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (कुल भूमि 2.450 हे०, मलुवा निस्तारण हेतु 0.300 हे०) अर्थात् कुल 2.750 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सुतेड़ा, द्वारा दिनांक 13-7-2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गहतोड़ा, बरमतोड़ा, कापड़ी के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत सुतेड़ा
वि० ब० बाराकोट

ह०/-
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत सुतेड़ा
वि० ब० बाराकोट (चम्पावत)

दिनांक 10-07-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सुतेड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	महेन्द्र सिंह S/O पदमाद सिंह	
2-	भवान सिंह S/O जोगा सिंह	
3-	दीवान सिंह S/O नन सिंह	
4-	नारायण सिंह S/O फतेह सिंह	
5-	मीना देवी पत्नी लाल सिंह	
6-	शिवराज सिंह S/O लाल सिंह	
7-	राजेन्द्र सिंह S/O ओकरा सिंह	
8-	दीवान सिंह S/O शिवराज सिंह	
9-	श्याम लाल S/O देवराज	
10-	धर्मानन्द शर्मा S/O	
11-	कमल शर्मा S/O धर्मानन्द शर्मा	
12-	पुष्प सिंह S/O उमेश सिंह	
13-	अमीत बिष्ट S/O राजेन्द्र सिंह	
14-	अनवरुद्ध S/O पुष्कर राय	
15-	कमलाकान्त S/O स्व. श्री हरीदत्त	
16-	शुभाकाश सिंह S/O लं. श्री जगनाश सिंह	
17-	गमिणी कान्ही देवी पत्नी दीवान सिंह	
18-	देवी देवी पत्नी शंभू सिंह	

हस्ताक्षर
ह0/-
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

प्रपत्र-23.1

दिनांक 10-07-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सुतेड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
19.	रोहित सिंह बिष्ट S/o कल्याण सिंह	रोहित सिंह बिष्ट
20	भाग्यदेवी देवी W/o राजेश सिंह	भाग्यदेवी देवी
21	लक्ष्मी देवी W/o जगदीश सिंह	लक्ष्मी देवी
22	सुनीता बिष्ट W/o हरिश सिंह	सुनीता बिष्ट
23	देवकी देवी W/o हयात सिंह	देवकी देवी
24	मन्जू देवी W/o हरिश सिंह	मन्जू देवी
25	निर्मला देवी W/o सुवर सिंह	निर्मला देवी
26	हरिश कुमार S/o कल्याण राम	हरिश कुमार
27	हयात सिंह S/o गम्भीर सिंह	हयात सिंह
28	जोता सिंह S/o पूरुषोत्तम सिंह	जोता सिंह
29	बलवन्त बिष्ट S/o भद्रा सिंह	बलवन्त बिष्ट
30	मनी देवी W/o जगज्ज सिंह	मनी देवी

ह0/-
ग्राम पंचायत सुतेड़ा